अधिकार के अर्थ एवं परिभाषा

डा.श्याम शंकर, राजनीति विज्ञान विभाग,
जा सिंह महाविद्यालय, सीवान।

अधिकार सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं। इसके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए कोई उपयोगी कार्य कर सकता है। वास्तव में अधिकार के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। लास्की के अनुसार 'एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है उसी के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है।'

राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। इसके लिए राज्य द्वारा व्यक्ति को कुछ बाहरी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली इन बाहरी सुविधाओं को ही अधिकार कहा जाता है।

अधिकार के अर्थ—

1. अधिकार समाज की सृष्टि है— समाज द्वारा स्वीकृत मांग ही अधिकार का रूप ग्रहण कर लेती है।
2. समाज से बाहर अधिकारों की सृष्टि नहीं होती— जंगलों, पहाड़ों एवं गुफाओं में रहने वाले लोगों का अधिकार नहीं होता, क्योंकि वे प्राकृतिक अवस्था में होते हैं।
3. अधिकार का आधार सामाजिक कल्याण है— जिस मांग के पीछे सार्वजनिक कल्याण की भावना निहित होती है, वही मांग समाज द्वारा स्वीकृत होती है।
4. अधिकार का महत्व उसके उपभोग में है— अधिकार तभी सार्थक हो सकते हैं जब उसके उपभोग के लिए उचित वातावरण मौजूद हो।

अधिकार की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने दी है, जो निम्न प्रकार है—

हालैण्ड— अधिकार एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के कार्यों को समाज के मत और शक्ति द्वारा प्रभावित करने की क्षमता है।

टी० एच० ग्रीन— अधिकार वह शक्ति है जिसकी माँग लोक कल्याण के लिए की जाती है और मान्यता भी प्राप्त होती है।

वाईल्ड— अधिकार कोई विशेष कार्य करने के लिए स्वतंत्रता की युक्तिसंगत मांग है।

श्रीनिवास शास्त्री— वास्तव में अधिकार वह व्यवस्था, नियम या रीति है जो किसी समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत होती है और नागरिकों के उच्चतम नैतिक कल्याण में सहायक हो।

बेनी प्रसाद— अधिकार केवल वे सामाजिक परिस्थितियाँ हैं जो व्यक्तित्व के [illegible] के लिए आवश्यक या अनुकूल हैं।

1/2

Scanned with CamScanner

उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से यह
धिकारों का स्वरूप सामाजिक होता है तथा
ा होता है। क्योंकि एक तो राज्य द्वारा प्रदत्त
ो समाज में ही संभव है दूसरे राज्य द्वारा किसी
धिकार नहीं दिये जा सकते, जिससे दूसरे व्यक्ति
विकास में बाधा पहुँचे। अधिकारों का एक प्रयोग
ना चाहिए कि वह व्यक्ति की उन्नति के साथ-
ति में भी सहायक हो। इसका संरक्षण राज्य
आवश्यक है। सच्चे अधिकारों का स्वरूप सर्व-
योंकि यह सभी व्यक्तियों को समानरूप से

5 PRO
ERA

Scanned with CamScanner